



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती शशीदा व अन्य बनाम श्री रामगुप्ता व अन्य

किस्म मुकदमा

मु0न0 63 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
02-7-19	<p>वकिला. र. फरी. डफ / वकील प्रतिवारी ने प्रपत्र अन्तर्गत आदेश 6 निम्न 17 जा. सी. का जवाब व अतिरिक्त कारणों में ख. सं. 270 को वाद से डिमीट किए जाने का प्रस्तुत किया। दौनों अधिवक्तागण ने उक्त प्रपत्र को स्वीकार किए जो ख. सं. 270 के वादपत्र से डिमीट किए जाने का प्रस्ताव अनापत्ति जाहिर करते हुए सहकति श्री। उक्त सहकति के हस्ताक्षर वकील उममणसाह से आदेशिका पर करवाए गए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन प्रपत्र स्वीकार प्रोग्र होने से स्वीकार किया जाता है तथा ख. सं. 196 के वाद में जोड़ने तथा ख. सं. 270 के वाद से डिमीट किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार वकील कार्य संशोधित काद पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 22-07-19 को पेश हो।</p> <p>(जसजीतसिंह संघु) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	<p>22-7-19</p> <p>Stlow</p>
22-7-19	<p>वकील वारीगण व स्वयं वारीगण अनुपस्थित। वकील प्रतिवारी जरिए मीको उपस्थित। वारीगण व उनके अधिवक्ता को कल-कल कर कर वाद आवाजे लगाई गई, परन्तु कोई डांजिर नहीं आए। अतः पुनः आदेशिका व आदेश पत्रों को खारिज की जाती है। पत्रावली केसल नुमाद डेकर नम्बर से कर हो।</p> <p>(जसजीतसिंह संघु) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	

